न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :सुश्री श्वेता कोचर [redacted] आर0ए0एस0

प्रार्थना–पत्र सं0 : 89 सन 2021

अनवान :–

1. गुरबक्ससिह पुत्र श्रवणसिह जाति जटसिख निवासी सोती पडिहारी हाल निवासी अकालिया तहसील मानसा जिला भटिण्डा।

सायल

बनाम

1. निरंजन सिह पुत्र श्रवणसिह जाति जटसिख निवासी सोती पडिहारी हाल निवासी अकालिया तहसील मानसा जिला भटिण्डा (फोत)

   1/1. सर्वजीतसिह पुत्र जसविन्द्र कौर पुत्री निरंजनसिह जाति जटसिख निवासी सोती पडिहारी हाल निवासी अकालिया तहसील मानसा जिला भटिण्डा।

   1/2. गुलजीतसिह पुत्र जसविन्द्र कौर पुत्री निरंजनसिह जाति जटसिख निवासी सोती पडिहारी हाल निवासी अकालिया तहसील मानसा जिला भटिण्डा।

   1/3. जसविन्द्र कौर पुत्री निरंजन सिह जाति जटसिख निवासी सोती पडिहारी हाल निवासी अंकालिया तहसील मानसा जिला भटिण्डा

2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
3. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

गैर सायल

प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए बाबत
अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री भरतसिह बैनीवाल अधिवक्ता सायल
श्री विनोद सिगाढिया अधिवक्ता
गैरसायल संख्या 1 ता 3

निर्णय दिनांक :– 29/06/2022

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने विरूद्ध गैर सायल प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा चक 26 डीपीएन के खाता संख्या 29/24 की कुल 5.8190हैक भूमि जिसमें सायल का 1/6 हिस्सा , गैरसायल संख्या 1 का 1/6 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का 1/6 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 5 का 1/8 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 6 का 1/8 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 7 का 1/8 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 8 का 1/8 हिस्सा , के मुश्तरका खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा चक 26 डीपीएन के खाता संख्या 73/70 की कुल 5.0090हैक भूमि में सायल का 1/3 हिस्सा , गैरसायल संख्या 1 का 1/3 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का 1/3 हिस्सा का मुश्तरका खातेदार काश्तकार है।

सायल व प्रतिवादीगण अपने हक हिस्सा की भूमि को मुश्तरका ही काश्त करते एव रकम राज अदा करते आ रहे है विवादित भूमि का खाता व लगान मुश्तरका होने के कारण लगन काश्त एव सीव डोल का झगडा बना रहता है इसलिये सायल अपने हक हिस्सा की भूमि का मुताबिक भूमि किस्म के अनुसार अच्छी में से अच्छी माडी में से माडी के अनुसार खाता व लगान तकसीम करवा पाने के अधिकारी है।

विवादित भूमि का मुश्तरका खाता होने की वजह से प्रतिवादीगण अच्छी किस्म की भूमि प्राप्त करने व कब्जा में मदाखलत करने लगे वादी के मौके पर काश्त की भूमि पर प्रतिवादीगण सीव व डोल तोड कर वाद की फसल में घुसने की फिराक में है।

गैरसायल संख्या 1 निरंजन सिह पुत्र श्रवणसिह अपने हक हिस्सा की भूमि को बेचान करना चाहता है तथा गैरसायल संख्या 1 मुश्तरका भूमि में से अच्छी किस्म की भूमि को बेचान करने की फिराक में है जिससे सायल व प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 को अपूर्णीय क्षति होगी तथा विवाद बढने की सम्भावना है यदि गैरसायल संख्या – 1 अच्छी किस्म की भूमि का बेचान कर देता है तो सायल को भारी नुकसान होगा इसलिये सायल गैरसायल संख्या 1 को पाबन्द करवाने का अधिकारी है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गैरसायल संख्या 1 को पाबन्द किया जावे की वह रोही मौजा चक 26 डीपीएन के खाता संख्या 29/24 की कुल 5.8190हैक व खाता संख्या 73/70 की कुल 5.0090हैक भूमि की रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखे।

सायल का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये सम्मन तलब किया गया गैरसायलान 1 ता 3 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आया तथा गैरसायल संख्या 1 ने सायल के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

सायल का प्रार्थना पत्र आधारहीन है रोही मौजा चक 26 डीपीएन के दोनो खातों की भूमि मुश्तरका तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसका किस्म भूमि व हक हिस्सा के अनुसार खाता विभाजन करवाने के अधिकारी है सायल व गैरसायल के मध्य कभी भी सीव डोल का झगडा नही हुआ है सायल व गैरसायल एक ही परिवार के सदस्य है घरू अनबन के कारण झूठा दावा पेश किया है उतरदाता संख्या 1 अपनी जमीन बेचता है या नही इसका वाद/सायल पर क्या असर है उसका तो हिस्सा नही बेचना चाहता सायल स्वय भूमि बेचना चाहता है सायल निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी नही है मुश्तरका खाते की भूमि में प्रत्येक इच पर मुश्तरका खातेदार का हिस्सा होता है रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व किसी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा नही दी जा सकती है।।

गैरसायल संख्या 1 रिकार्ड खातेदार काश्तकार है तथा रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का सायल अधिकारी नही है गैरसायल संख्या 1 केसीसी , भूमि सुधार हेतु ऋण लेना चाहता है तथा सायल द्वारा मुझ उतरदाता को रहन /बैय व मुन्तकिल करने हेतु पाबन्द किया गया है क्योकि मुझ उतरादाता की मन्शा भूमि विक्रय करने की नही है सायल ने मुझ उतरादाता को हैरान परेशान करने के लिये दावा व प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

सायल द्वारा गैरसायल संख्या 1 के खिलाफ जारी अस्थाई निषेधाज्ञा खारीज फरमाया जावे एवं उतरादाता मुताबिक हक व हिस्सा एवं कब्जा काश्त के अनसुार खाता विभाजन करवाने के लिये तेयार है सायल का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

अपने कथनो के समर्थन में आरबीजे वर्ष 2019 पेज 170 व आरबीजे वर्ष 2018 पेज संख्या 504 पेश की गई ।

गैरसायलान का जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई

सायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 26 डीपीएन के खाता संख्या 29/24 की कुल 5.8190हैक्ट भूमि जिसमें सायल का 1/6 हिस्सा , गैरसायल संख्या 1 का 1/6 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का 1/6 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 5 का 1/8 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 6 का 1/8 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 7 का 1/8 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 8 का 1/8 हिस्सा , के मुश्तरका खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा चक 26 डीपीएन के खाता संख्या 73/70 की कुल 5.0090हैक्ट भूमि में सायल का 1/3 हिस्सा , गैरसायल संख्या 1 का 1/3 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का 1/3 हिस्सा का मुश्तरका खातेदार काश्तकार है।

सायल व प्रतिवादीगण अपने हक हिस्सा की भूमि को को मेहनत /पेशा खर्च कर उपजाउ बनाया गया है मुश्तरका ही काश्त करते एव रकम राज अदा करते आ रहे है विवादित भूमि का खाता व लगान मुश्तरका होने के कारण लगन काश्त एव सीव डोल का झगडा बना रहता है इसलिये सायल अपने हक हिस्सा की भूमि का मुताबिक भूमि किस्म के अनुसार अच्छी में से अच्छी माडी में से माडी के अनुसार खाता व लगान तकसीम करवा पाने के अधिकारी है।

विवादित भूमि का मुश्तरका खाता होने की वजह से प्रतिवादीगण अच्छी किस्म की भूमि प्राप्त करने व कब्जा में मदाखलत करने लगे वादी के मौके पर काश्त की भूमि पर प्रतिवादीगण सीव व डोल तोड कर वाद की फसल में घुसने की फिराक में है।

गैरसायल संख्या 1 निरंजन सिह पुत्र श्रवणसिह अपने हक हिस्सा की भूमि को बेचान करना चाहता है तथा गैरसायल संख्या 1 मुश्तरका भूमि में से अच्छी किस्म की भूमि को बेचान करने की फिराक में है जिससे सायल व प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 को अपूर्णीय क्षति होगी तथा विवाद बढने की सम्भावना है यदि गैरसायल संख्या – 1 अच्छी किस्म की भूमि का बेचान कर देता है तो सायल को भारी नुकसान होगा इसलिये सायल गैरसायल संख्या 1 को पाबन्द करवाने का अधिकारी है।

गैरसायल संख्या 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की सायल का प्रार्थना पत्र आधारहीन है रोही मौजा चक 26 डीपीएन के दोनो खातों की भूमि मुश्तरका तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसका किस्म भूमि व हक हिस्सा के अनुसार खाता विभाजन करवाने के अधिकारी है सायल व गैरसायल के मध्य कभी भी सीव डोल का झगडा नही हुआ है सायल व गैरसायल एक ही परिवार के सदस्य है घरू अनबन के कारण झूठा दावा पेश किया है उतरदाता संख्या 1 अपनी जमीन बेचता है या नही इसका वाद/सायल पर क्या असर है उसका तो हिस्सा नही बेचना चाहता सायल स्वय भूमि बेचना चाहता है सायल निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी नही है मुश्तरका खाते की भूमि में प्रत्येक इच पर मुश्तरका खातेदार का हिस्सा होता है रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व किसी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा नही दी जा सकती है।।

गैरसायल संख्या 1 रिकार्ड खातेदार काश्तकार है तथा रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का सायल अधिकारी नही है गैरसायल संख्या 1 केसीसी , भूमि सुधार हेतु ऋण लेना चाहता है तथा सायल द्वारा मुझ उतरदाता को रहन /बैय व मुन्तकिल करने हेतु पाबन्द किया गया है क्योकि मुझ उतरादाता की मन्शा भूमि विक्रय करने की

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

नही है सायल ने मुझ उतरादाता को हैरान परेशान करने के लिये दावा व प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

सायल द्वारा गैरसायल संख्या 1 के खिलाफ जारी अस्थाई निषेधाज्ञा खारीज फरमाया जावे एवं उतरादाता मुताबिक हक व हिस्सा एवं कब्जा काश्त के अनसुार खाता विभाजन करवाने के लिये तेयार है सायल का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया यह तथ्य तो वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर तय होगा की सयुक्त खाते के काश्तकार किस प्रकार से वाद भूमि का खाता विभाजन करवाने के अधिकारी है प्रार्थना पत्र में तो केवल यह देखा जाना है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण सूविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु किसके पक्ष में है।

प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि रोही मौजा चक 26 डीपीएन के खाता संख्या 29/24 की कुल 5.8190हैक व खाता संख्या 73/70 की कुल 5.0090हैक भूमि सायल एवं गैरसायल संख्या/प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है वाद भूमि मुश्तरका खाते में दर्ज होने के कारण प्रथम दृष्टया प्रकरण उभयपक्षों के पक्ष में पाया जाता है।

सायल का कथन है कि उसके द्वारा वाद भूमि में से अपने हक हिस्सा की भूमि को मेहनत /पेशा खर्च कर उपजाउ बनाया गया है जिसे गैरसायल बेचान करने पर उतारू है तथा गैरसायलान का कथन है कि सहकाश्तकारों को किसी भी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता है।

सायल एवं गैरसायलान संख्या 1 ता 3 दोनो के ही कथन स्वीकार योग्य नही है यह सही है कि वाद भूमि मुश्तरका खाते में दर्ज है जिसका खाता विभाजन का वाद न्यायालय में विचाराधीन है।

सायल का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाकर गैरसायलान को पाबन्द किया गया था कि वाद भूमि में से किसी विशेष हिस्से का बेचान नही करे सायल एवं गैरसायलान को अपने हक हिस्सा की भूमि बेचान करने के लिये पाबन्द नही किया गया है वाद भूमि का रहन /भूमि सुधार हेतु ऋण आदि लेने के लिये पाबन्द नही किया गया है गैरसायल स्वय के द्वारा अपने जबाब प्रार्थना पत्र में मुश्तरका खातें की भूमि में प्रत्येक इचं पर प्रत्येक सहखातेदार का हक हिस्सा होता है जब तक खाता विभाजन नही हो जाता है अर्थात खाता विभाजन होने तक विशेष हिस्से का बेचान ना करने हेतु पाबन्द किया जाना न्यायोचित है।

न्यायालय में सायल के द्वारा प्रस्तुत किया गया खाता विभाजन का वाद विचाराधीन है जिसमें सायल एव गैरसायलान के द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य सबुतो के आधार पर तय होगा कि उभयपक्ष किस प्रकार से खाता विभाजन करवाने के अधिकारी है तब तक उभयपक्षों को वाद भूमि में से विशेष हिस्से का बेचान नही करने हेतु पाबन्द रखा जाना उचित है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का सन्तुलन अपूर्णीय क्षति के बिन्दु उभयपक्षों में सामान रूप सें साबित/पाये जाने के कारण कार्यालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 09.07.2021 को ताफैसला कन्फर्म किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि उभयपक्षों (सायल एवं गैरसालान) वाद भूमि में से विशेष हिस्से का बेचान ताफैसला दावा नही करे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29/06/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर(हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner